



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28102021-230787
CG-DL-E-28102021-230787

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4123]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 27, 2021/कार्तिक 5, 1943

No. 4123]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 27, 2021/KARTIKA 5, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4479(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3241(अ), तारीख 10 अगस्त 2021, जो भारत के असाधारण राजपत्र 3003 तारीख 11 अगस्त 2021, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा बाड़मेर (राजस्थान) से पालनपुर (गुजरात) तक बाड़मेर-पालनपुर पाइपलाइन के माध्यम से तैयार पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन के लिए राजस्थान राज्य में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 07 सितम्बर, 2021 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्याधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

तहसील-सायला

जिला- जालोर

राज्य-राजस्थान

क्रम.सं	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल		
			हैक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	तेजा की बेरी	572/568	00	48	24
		571/568	00	08	46
		347	00	06	29
		कुल	00	62	99
2	सांगाणा	1594/1593	00	24	67
		20	00	32	61
		141	00	48	83
		1228	00	04	28
		कुल	01	10	39
3	आलवाडा	767	00	08	09
		कुल	00	08	09
4	सुराणा	430	00	10	04
		कुल	00	10	04
5	कोमता	126	00	04	30
		129	00	02	88
		131	00	04	68
		831/1443	00	07	24
		863	00	16	63
		1059	00	02	21
		कुल	00	37	94

[फा. सं. आर-11025(15)/11/2020-ओ॰आर-1/ई-34574]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2021

S.O. 4479(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. No. 3241(E) Dated 10 August 2021, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India 3022 dated the 11 August 2021, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in the State of Gujarat for transportation of petroleum product from (Barmer Palanpur Pipeline) from Barmer (Rajasthan) to Palanpur (Gujarat), a Pipeline should be laid by the Hindustan Petroleum Corporation Limited(HPCL).

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to the public up to 07September 2021,

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Hindustan Petroleum Corporation Limited free from all encumbrances.

Hindustan Petroleum Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

TEHSIL : SAYLA

DISTRICT: JALORE

STATE: RAJASTHAN

S.No	Name of Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Sqm.
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)
1	Teja Ki Beri	572/568	00	48	24
		571/568	00	08	46
		347	00	06	29
		Total	00	62	99
2	Sangana	1594/1593	00	24	67
		20	00	32	61
		141	00	48	83
		1228	00	04	28
		Total	01	10	39
3	Alwada	767	00	08	09
		Total	00	08	09
4	Surana	430	00	10	04
		Total	00	10	04
5	Komta	126	00	04	30
		129	00	02	88
		131	00	04	68
		831/1443	00	07	24

		863	00	16	63
		1059	00	02	21
		Total	00	37	94

[F. No. R-11025(15)/11/2020-OR-I/E-34574]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4480(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3238(अ), तारीख 10 अगस्त 2021, जो भारत के असाधारण राजपत्र 3003 तारीख 11 अगस्त 2021, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा बाड़मेर (राजस्थान) से पालनपुर (गुजरात) तक बाड़मेर-पालनपुर पाइपलाइन के माध्यम से तैयार पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन के लिए राजस्थान राज्य में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 07 सितम्बर 2021 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्याधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची**तहसील-बागोडा****जिला- जालोर****राज्य-राजस्थान**

क्रम.सं	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल		
			हैक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	जेतु	1116 1116/1704	00	03	50
		859	00	01	85
		कुल	00	05	35
2	अरणु	235	00	07	67
		241	00	04	19
		226	00	10	86

		337	00	00	85
		कुल	00	23	57

[फा. सं. आर-11025(15)/11/2020-ओ॰आर-आई-34574]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2021

S.O. 4480(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S. O. No. 3238 (E) Dated 10 August 2021,, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India 3022 dated the 11 August 2021, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in the State of Gujarat for transportation of petroleum product from (Barmer Palanpur Pipeline) from Barmer (Rajasthan) to Palanpur (Gujarat), a Pipeline should be laid by the Hindustan Petroleum Corporation Limited(HPCL).

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to the public up to 07September 2021,

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Hindustan Petroleum Corporation Limited free from all encumbrances.

Hindustan Petroleum Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE**TEHSIL : BAGODA****DISTRICT: JALORE****STATE: RAJASTHAN**

S.No	Name of Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Sqm.
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)
1	Jaitoo	1116 1116/1704	00	03	50
		859	00	01	85
		Total	00	05	35
		235	00	07	67
2	Aranoo	241	00	04	19
		226	00	10	86
		337	00	00	85
		Total	00	23	57

[F. No. R-11025(15)/11/2020-OR-I/E-34574]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4481(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या

का.आ. 3240(अ), तारीख 10 अगस्त 2021, जो भारत के असाधारण राजपत्र 3003 तारीख 11 अगस्त 2021, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा बाड़मेर (राजस्थान) से पालनपुर (गुजरात) तक बाड़मेर-पालनपुर पाइपलाइन के माध्यम से तैयार पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन के लिए राजस्थान राज्य में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 07 सितम्बर 2021 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्याधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची**तहसील-रानीवाडा****जिला- जालोर****राज्य-राजस्थान**

क्रम.सं	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल		
			हैक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	सिलासन	1764	00	03	50
		कुल	00	03	50
2	पादावी	324	00	02	49
		कुल	00	02	49
3	मेडा	162	00	08	40
		129	00	00	31
		कुल	00	08	71
4	रानीवाडा कलां	783	00	02	50
		कुल	00	02	50
5	सिंघावास	296	00	05	12

		कुल	00	05	12
6	धानोल	478	00	03	49
		कुल	00	03	49

[फा. सं. आर-11025(15)/11/2020-ओ०आर-1/ई-34574]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2021

S.O. 4481(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. No. 3240 (E) Dated 10 August 2021,, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India 3022 dated the 11 August 2021, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in the State of Gujarat for transportation of petroleum product from (Barmer Palanpur Pipeline) from Barmer (Rajasthan) to Palanpur (Gujarat), a Pipeline should be laid by the Hindustan Petroleum Corporation Limited(HPCL).

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to the public up to 07September 2021,

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Hindustan Petroleum Corporation Limited free from all encumbrances.

Hindustan Petroleum Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE**TEHSIL : RANIWADA****DISTRICT: JALORE****STATE: RAJASTHAN**

S.No	Name of Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Sqm.
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Silasan	1764	00	03	50
		Total	00	03	50
2	Padavi	324	00	02	49
		Total	00	02	49
3	Meda	162	00	08	40
		129	00	00	31
		Total	00	08	71
4	Raniwada Kalan	783	00	02	50
		Total	00	02	50

5	Singawas	296	00	05	12
		Total	00	05	12
6	Dhanol	478	00	03	49
		Total	00	03	49

[F. No. R-11025(15)/11/2020-OR-I/E-34574]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.